2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट और राज्य के सभी जिला स्तर न्यायाधीश को लिखे क्रमांक 6880-स0क0-1-71/1051-52, दिनांक 30 जनवरी, 1972 की प्रति ।

विषय :—अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए पदों का आरक्षण (अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत तथा पिछड़े वर्ग के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण) ।

मुझे संयुक्त पंजाब सरकार के परिपत्र क्रमांक 8085-5 डब्ल्यू-बी-11-63/18244, दिनांक 7-9-1963 में निहित हिदायतों की ओर ध्यान दिलाने का निर्देश हुआ है और यह कहूं कि इन हिदायतों से स्पष्ट नहीं था कि पदों का काम आरक्षण केवल अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के इन सदस्यों के लिए सीमित किया जाना है जो कि हरियाणा अधिवासी है या यह सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता किए गए अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के सभी सदस्यों को मिल सकती है चाहे वह किसी भी राज्य के अधिवासी हों ।

2. इस मामले पर विचार किया गया और सरकार ने निर्णय लिया है कि इन हिदायतों द्वारा केवल हरियाणा राज्य के अधिवासी अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण किया जाना है और यह सुविधा दूसरे राज्य के अधिवासियों को नहीं दी जानी है । अतः अनुरोध किया जाता है कि इस निर्णय की पालना की जाए और सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाए ।

3. इसकी पावती भेजें ।